न्यायालय अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त, अजमेर

(निर्णय बईजलास श्री के.के.शर्मा,आर0ए0एस0 अतिरिक्त संभागीय आयुक्त,अजमेर)

अपील संख्या :-80/2016/भीलवाड़ा (2016/00087)

1. श्रंगारी बाई पुत्री हीरा पत्नि रतनलाल, जाति भील, निवासी नाथावतों का खेर तहसील बेगू, जिला चित्तोड़गढ़ ।

अपीलांट

बनाम

1. कमली पत्नि छोट्या, नि0 मकान नं0 107 सारण, तहसील बेगू, जिला चित्तोड़गढ़ ।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, माण्डलगढ़, जिला भीलवाड़ा ।

रेस्पोडेंट्स

अपील अंतर्गत धारा 75 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम-1956 विरूद्ध निर्णय उपखण्ड अधिकारी, माण्डलगढ़ कैम्प सिंगोली जिला भीलवाड़ा दिनांक 10.6.2015.

उपस्थितः-

1. श्री गौतम टांक, वकील अपीलांटस ।
2. रेस्पो0 अनुपस्थित ।

निर्णय

दिनांकः-11.1.2018

अपीलांट ने यह अपील उपखण्ड अधिकारी, माण्डलगढ़ कैम्प सिंगोली, जिला भीलवाड़ा (संक्षेप में अधीनस्थ न्यायालय) द्धारा पारित निर्णय दिनांक 10.6.2015 (संक्षेप में अपीलाधीन निर्णय) से अप्रसन्न होकर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत इस न्यायालय में प्रस्तुत की हैं। xx

1- प्रकरण में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम खालीकोल पटवार हल्का सिंगोली, तहसील माण्डलगढ जिला भीलावड़ा की खसरा संख्या 633/482 रकबा 4.05 ऐयर बारानी-3 भूमि का नामांतकरण संख्या 412 दिनांक 5.1.2007 को हीरा के बजाय श्रंगारी पुत्री हीरा के नाम से स्वीकृत किया गया, तत्पश्चात् रेस्पो0 संख्या 1 कमली पत्नि छोट्या ने शिविर प्रभारी कैम्प सिंगोली के समक्ष प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 136 राजस्थान

भू-राजस्व अधि0 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि रेस्पो0 संख्या 1 कमली के पिता हीरा की मृत्यु के बाद विरासत का नामांतकरण खोला गया है उसमें अपीलांट श्रंगारी का नाम दर्ज कर दिया गया है जबकि हीरा के एक मात्र वारिस पुत्री कमली होने से उसके नाम नामांतकरण स्वीकृत किया जावे। उक्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर अधी0न्याया0 ने दिनांक 10.6.2015 को कैम्प सिंगोली में रेस्पो0 संख्या 1 का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर सिंगोली के खाता संख्या 143 में सणगारी पुत्री हीरा के बजाय कमली पुत्री हीरा का नाम शुद्ध किये जाने के आदेश पारित किये। अधी0न्याया0 के इस आदेश से अप्रसन्न होकर अपीलांट ने यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की है ।

2- अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 को नोटिस जारी किये गये। रेस्पोडेंट के अनुपस्थित रहने एवं अधी0न्याया0 का रिकार्ड प्राप्त होने के उपरांत प्रकरण में विद्वान अभिभाषक अपीलांट की एकपक्षीय बहस सुनी गई । xx

3- अपीलान्ट् के विद्वान अभिभाषक ने दौराने बहस अपीलमीमों में उल्लेखित तथ्यों की ताईद करते हुए कथन किया कि धारा 136 में लिपिकीय एवं आपसी सहमति के आधार पर ही प्रार्थना पत्र को निर्णित किया जा सकता था जबकि अधी0न्याया0 ने बिना दस्तावेजी साक्ष्यों के मात्र रेस्पो0 संख्या 1 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 136 राज0भू-राजस्व अधि0 1956 को स्वीकार कर विवादित आराजी की खातेदारी रेस्पो0 संख्या 1 कमली के नाम दर्ज करने के आदेश पारित किये है जबकि किसी भी खातेदार को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किये बिना उसके खातेदारी अधिकार समाप्त नहीं किये जा सकते है । विद्वान वकील अपीलांट ने बहस में आगे कथन किया कि अधी0न्याया0 ने इस बात पर गौर नहीं किया कि अपीलांट श्रंणगारी संवत् 2070 से 2073 की जमाबंदी में खातेदार काश्तकार दर्ज थी जिसे नोटिस दिये बिना एवं सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किये बिना प्रार्थना पत्र को निर्णित नहीं किया जा सकता था । अधी0न्याया0 के समक्ष दिनांक 10.6.2015 को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत हुआ तथा उसी दिनांक को अधी0न्याया0 ने बिना दस्तावेजी साक्ष्यों के प्रार्थना पत्र को निर्णित कर दिया जो विधिक प्रक्रिया का उल्लंघन होकर पारित निर्णित विधि विरूद्ध है । विद्वान वकील अपीलांट ने बहस में आगे कथन किया कि अधी0न्याया0 के उक्त निर्णय की पालना में जमाबंदी में जो इंद्राज किया गया है उसमें डिक्री की पालना में इंद्राज किये जाने का अंकन है जबकि धारा 136 एल0आर0एक्ट के प्रावधानों के तहत डिक्री का प्रावधान नहीं है । रेस्पो0 संख्या 1 कमली द्वारा अधी0न्याया0 के समक्ष ऐसा कोई भी दस्तावेजी साक्ष्य पेश नहीं किया गया जिससे यह साबित हो कि रेस्पो0 संख्या 1 कमली मृतक हीरा की जायंदा पुत्री है बल्कि केवल मात्र ग्राम पंचायत द्वारा जारी प्रमाण पत्र में कमली पुत्री हीरा का नाम दर्ज किये जाने के आधार पर ही अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है । विद्वान वकील अपीलांट ने बहस में आगे यह भी कथन किया कि पूर्व में श्रणगारी के नाम स्वीकृत नामांतकरण में पटवारी हल्का ने मृतक खातेदार हीरा का सजरा अंकित किया था जिसमें श्रणगारी को मृतक हीरा की पुत्री

होना दर्शाया है । अधी0न्याया0 ने कैम्प में न्याय के सिद्धांतों के विपरीत जाकर एक ही दिन में समस्त कार्यवाही की है जो न्याय के सिद्धांतों के विपरीत होने से अपास्त योग्य है । किसी के खातेदारी अधिकारों को सक्षम न्यायालय में दावा प्रस्तुत करके ही समाप्त किया जा सकता है ना कि धारा 136 राज0भू-राजस्व अधि0 1956 के प्रार्थना पत्र के तहत । अधी0न्याया0 ने इन सभी तथ्यों को नजरअदांज कर अपीलाधीन निर्णय पारित किया है जिसे विधिसम्मत् नहीं माना जा सकता है । अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधी0न्याया0 का अपीलाधीन आदेश दिनांक 10.6.2015 अपास्त किया जावे । विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपने कथनों के समर्थन में आर0बी0जे0 1999 (2) पेज 158, आर0बी0जे0 1998 (5) पेज 257, आर0आर0टी0 2015(1) पेज 11, आर0आर0टी0 2017 (2) पेज 1264, आर0बी0जे0 2015 (22) पेज 40 आर0बी0जे0 2015 (22) पेज 251 एवं आर0बी0जे0 2015 (22) पेज 256 के न्यायिक दृष्टांत उद्धरित किये । xx

4- विद्वान वकील अपीलांट ने अपील के साथ प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधि0 पेश कर निवेदन किया कि अधी0न्याया0 द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व अपीलांट को किसी प्रकार का नोटिस प्रदान नहीं किया गया जिससे अपीलांट को अपीलाधीन निर्णय की जानकारी नहीं हो सकी थी। अपीलांट विवादित आराजियात की खातेदार काश्तकार है । अपीलाधीन आदेश की सर्वप्रथम जानकारी दिनांक 24.5.2016 को पटवारी हल्का के बताने पर हुई जिस पर अपीलांट ने दिनांक 25.5.2016 को नकल हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जिस पर दिनांक 26.5.20016 को नकल प्राप्त होने पर अपने अभिभाषक से संपर्क कर जानकारी से अंदर मियाद यह अपील प्रस्तुत की है । अपील में हुआ विलंब सद्भाविक है । अतः विलंब क्षम्य किया जाकर अपील अंदर मियाद शुमार की जावे । विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने विलंब के संबंघ में आर0आर0टी0 2017 (2) पेज 1104 का न्यायिक दृष्टांत उद्धरित किया ।

5- हमने पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात एवं आधार अभिलखों का अवलोकन किया एवं अभिभाषक अपीलांट एवं रेस्पो0 की बहस पर मनन किया । हम सर्वप्रथम अपीलांटस द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधि0 का निस्तारण करना उचित समझते है । अपीलांट्स ने अपने प्रार्थना पत्र में विलंब के जो कारण अंकित किये है वे उचित एवं सद्भाविक प्रतीत होते है। मियाद के बिन्दु से किसी भी प्रकरण का गुणावगुण पर अंतिम विनिश्चयन नहीं हो सकता है इसलिये हम न्यायहित में अपीलांटस को सुना जाना न्यायोचित समझते है । अतः अपील में हुआ विलंब क्षम्य किया जाकर अपील अंदर मियाद शुमार की जाती है ।

6- हमने प्रकरण में गुणावगुण पर पत्रावली में उपलब्ध अभिलेख एवं उभयपक्ष बहस पर मनन किया। पत्रावली में उपलब्ध नामांतकरण संख्या 412 दिनांक 5.1.2007 के अवलोकन से स्पष्ट है कि हीरा पि भूरा भील के फौत होने पर पटवारी हल्का ने सणगारी पुत्री हीरा के नाम से फौती नामांतकरण भरकर पेश किया जिसे भू-अभिलेख निरीक्षक द्वारा जांच में

सही पाये जाने पर सरपंच माण्डलगढ़ द्वारा दिनांक 5.1.2007 को स्वीकृत किया गया है । उक्त नामांतकरण स्वीकृत करते समय पटवारी हल्का ने मृतक हीरा का सजरा भी नामांतकरण पर अंकित किया है जिसके अनुसार मृतक हीरा का विधिक वारिस पुत्री सणगारी को दर्शाया है । तत्पश्चात् दिनांक 10.5.2015 को शिविर प्रभारी कैम्प सिंगोली में रेस्पो0 संख्या 1 कमली द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि पिता की मृत्यु उपरांत विवादित भूमि का नामांतकरण श्रंगारी पुत्री हीरा के नाम दर्ज कर दिया गया है जबकि श्रंगारी हीरा की पुत्री नहीं होकर रेस्पो0 संख्या 1 हीरा की एकमात्र पुत्री है। अतः नामांतकरण संख्या 412 दिनांक 5.1.2007 को अपास्त कर प्रार्थी/रेस्पो0 संख्या 1 के नाम नामांतकरण स्वीकृत किया जावे । उक्त प्रार्थना पत्र के साथ रेस्पो0 संख्या 1 ने सरपंच, ग्राम पंचायत सिंगोली का प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जिसमें रेस्पो0 संख्या 1 कमली को मृतक खातेदार हीरा की पुत्री होना अंकित किया है । अधी0न्याया0 ने उक्त प्रमाण पत्र के आधार पर तथा पटवारी हल्का की रिपोर्ट के आधार पर दिनांक 10.6.2015 को सणगारी पुत्री हीरा के बजाय कमली पुत्री हीरा के नाम नामांतकरण दर्ज किये जाने के आदेश पारित किये । अधी0न्याया0 का यह आदेश मात्र एक-दो लाईन का है । अधी0न्याया0 की पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अधी0न्याया0 ने अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व राजस्व रिकार्ड में दर्ज खातेदार अपीलांट को नोटिस जारी नहीं किया तथा ना ही अपीलांट को साक्ष्य एवं सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किया बल्कि केवल मात्र रेस्पो0 संख्या 1 द्वारा सरपंच, ग्राम पंचायत, सिंगोली के प्रमाण पत्र के आधार पर अपीलाधीन आदेश पारित किया है । पत्रावली के अवलोकन से यह भी स्पष्ट है कि अधी0न्याया0 के आदेश दिनांक 10.6.2015 की पालना में दर्ज इंद्राज में डिक्री का हवाला दिया गया है । हम विद्वान अभिभाषक अपीलांट के इस कथन से सहमत है कि धारा 136 राजस्थान भू-राजस्व अधि0 के तहत किसी खातेदार के खातेदारी अधिकार समाप्त नहीं किये जा सकते है । जब पूर्व में अपीलांट के नाम विरासत का नामांतकरण संख्या 412 दिनांक 5.1.2007 को स्वीकृत किया गया था तब तत्कालीन पटवारी हल्का द्वारा मृतक हीरा का सजरा दर्शाया गया है जिसमें अपीलांट को मृतक हीरा की पुत्री होना दर्शाया है तो सरपंच, ग्राम पंचायत, सिंगोली द्वारा किस प्रकार तथा किस आधार पर रेस्पो0 संख्या 1 कमली को हीरा की पुत्री होने के संबंध में प्रमाण पत्र जारी किया गया है इस संबंध में अधी0न्याया0 द्वारा कोई जांच नहीं की गई है । अधी0न्याया0 के समक्ष उक्त तथ्य प्रकट होने पर अधी0न्याया0 को चाहिये था कि ग्राम के मौतबिरान व्यक्तियों, पक्षकारान के समाज के व्यक्तियों के बयान लेकर मृतक हीरा के विधिक वारिसान की जांच कर, जांच उपरांत अपीलाधीन निर्णय पारित करते किन्तु अधी0न्याया0 ने ऐसा न कर आनन-फानन में अपीलाधीन निर्णय पारित किया है जिसे विधिसम्मत् नहीं माना जा सकता है। हम विद्वान वकील अपीलांट के इस कथन से भी सहमत है कि राजस्थान भू-राजस्व अधि0 1956 की धारा 136 के तहत राजस्व रिकार्ड में इंद्राज दुरूस्ती केवल लिपिकीय त्रुटि अथवा कृछ स्वीकृत

त्रुटियां धारा 136 के अंतर्गत परिशोधित की जा सकती है, जबकि प्रस्तुत प्रकरण में रेस्पो0 संख्या 1 ने अधी0न्याया0 के समक्ष ऐसा कोई तथ्य प्रस्तुत नहीं किया था तथा ना ही अपने प्रार्थना पत्र में ऐसा अंकित ही किया है । नामांतकरण संख्या 412 दिनांक 5.1.2007 को स्वीकृत करते समय पटवारी हल्का द्वारा दर्शाया गया मृतक हीरा का सजरा एवं सरपंच, ग्राम पंचायत, सिंगोली द्वारा जारी प्रमाण पत्र परस्पर विरोधाभासी है जो भी जांच का विषय होकर दोषी कार्मिक के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है । उपरोक्त विवेचन के क्रम में अपीलाधीन निर्णय को विधिसम्मत् नहीं माना जा सकता है । अतः अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार योग्य तथा अधी0न्याया0 का निर्णय दिनांक 10.6.2015 अपास्त योग्य होकर प्रकरण अधी0न्याया0 को प्रतिप्रेषित योग्य पाया जाता है।

–ः<u>क्रियात्मक आदेश</u>ः–

अतः उपरोक्त विवेचन अनुसार अपील संख्या 80/2016 (2016/00087) बउनवानी श्रंगारी बाई बनाम कमली व अन्य को आंशिक रूप से स्वीकार किया जाता है तथा कैम्प प्रभारी अधिकारी, सिंगोली, जिला भीलवाड़ा द्वारा पारित आदेश दिनांक 10.6.2015 को अपास्त किया जाकर प्रकरण निर्णय में दिये गये आब्जर्वेशनस के क्रम में उपखण्ड अधिकारी, माण्डलगढ़ को प्रतिप्रेषित कर निर्देश दिये जाते है कि अधी0न्याया0 ग्राम के मौतबिरान व्यक्तियों, पक्षकारान के समाज के व्यक्तियों के बयान लेकर मृतक हीरा के विधिक वारिसान की जांच कर, उभयपक्ष को साक्ष्य एवं सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर नामांतकरण की नियमानुसार कार्यवाही करे तथा साथ ही पटवारी हल्का द्वारा तैयार सजरा एवं सरंपच, ग्राम पंचायत द्वारा जारी प्रमाण पत्र की जांच कर, जांच में पाये जाने वाले दोषी कार्मिक के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावे । पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

(के.के.शर्मा)
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त,
अजमेर

आदेश आज दिनांक 11.1.2018 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(के.के.शर्मा)
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त,
अजमेर